न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–पीयूष समारिया,I.A.S.

प्रकरण संख्या –57 / 2025 (अपील)

जीसीएमएस न0 2025 / 85

रामेश्वर पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम अरत्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. गणेशलाल सुमन पुत्र राजकुमार जाति माली
2. पुष्पचन्द सुमन पुत्र राजकुमार जाति माली निवासीगण ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. राजस्थान सकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

––रेस्पोंडेन्ट.

जिला कलक्टर कोटा राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामान्तरकरण सं0 514 दिनांक 04.06.2022 गान कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

उस्थिति

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक– 28.01.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम परत्या में खाता संख्या 118 की खसरा नम्बर 156 रकबा 2.0500 हे0 भूमि अपीलांट की 1/7 हिस्सा अन्य सह खातेदारान के साथ शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड थी । उक्त भूमि में से 1.3850 हे0 भूमि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की गई जो तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 514 रकबा 4.6.2022 से खसरा नम्बर 453 / 156 रकबा 1.3850 हे0 भूमि गै0मु0 सड़क के नाम दर्ज की गई, तथा शेष बची भूमि का बटा नम्बर 454 / 156 रकबा 0.5904 हे0, 455 / 156 रकबा 0.0746 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई ।

2. अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 514 दिनांक 04.06.2022 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.06.2025 को प्रस्तुत की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अवैधानिक रूप से रेस्पोडेन्ट के नाम अपीलान्ट की आराजी दर्ज की गई । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सपठित इंतकाल विधि न्याय एवं संचिका में सिद्वी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट की आराजी भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 8 लाईन

1

का रोड प्रस्तावित किया गया जिसकी पालना में अपीलांट की आराजी खाता संख्या 118 की खसरा नम्बर 156 रकबा 2.0500 हे0 भूमि अपीलांट की 1/7 हिस्सा अन्य सह खातेदारान के साथ शामलाती दर्ज भूमि में से 1.3850 हे0 भूमि अवाप्त की गई जो खसरा नम्बर 453/156 रकबा 1.3850 हे0 गै0मु0 सड़क, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज की गई, किन्तु उक्त दर्ज करने के साथ साथ ही तहसीलदार लाडपुरा ने रोड के दोनों ओर शेष बची भूमि का बटा नम्बर 454/156 रकबा 0.5904, 455/156 रकबा 0.0746 हे0 रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के नाम अवैधानिक रूप से दर्ज कर दी गई । जबकि अपीलान्ट द्वारा अपनी उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट को न तो कभी बेचान की है और न कोई राशि ही प्राप्त की है और न कोई ऐसा दस्तावेज ही रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे आलेखित किया है न रेस्पोडेन्ट का अपीलान्ट की आराजी से कभी कोई संबंध रहा है न रेस्पोडेन्ट का कब्जा है, किन्तु फिर भी अपीलान्ट को बिना सुने ही अपीलान्ट की आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है । अपीलान्ट दिनांक 10.6.2025 को केसीसी जमा करवाने हेतु बैंक जाने पर बैंक द्वारा बताया गया कि प्रार्थी के नाम तो आराजी ही नहीं है, उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गयी है । जिसकी जमाबन्दी की नकल लेने पर प्रार्थी को सम्पूर्ण जानकारी हुयी तथा नेट से नकले तहसीलदार लाडपुरा से जाकर मिला जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा बताया गया कि गलती हो गयी है उक्त गलती को अब हम भी नहीं सुधार सकते है, अपील करनी होगी । तब विधि राय लेकर दिनांक 17.6.2025 को नकल आवेदन कर दिनांक 19.6.2025 को नकल प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर इतकाल नम्बर 514 दिनांक 4.6.2022 सहाय निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व सह खातेदारान के नाम पूर्ववत दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें व तहसीलदार लाडपुरा के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि खसरा नम्बर 156 रकबा 2.0500 हे0 में से 1.3850 हे0 भूमि अवाप्त होने पर गै0मु0 सड़क दर्ज की गई किन्तु शेष भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम किस आधार पर दर्ज की गई जांच का विषय है । प्रकरण जांच कर समुचित कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित होगा ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया । ग्राम परल्या में खाता संख्या 118 की खसरा नम्बर 156 रकबा 2.0500 हे0 भूमि अपीलांट की 1/7 हिस्सा अन्य सह खातेदारान के साथ शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड थी । उक्त भूमि में से 1.3850 हे0 भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की गई जो तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 514 रकबा 4.6.2022 से खसरा नम्बर 453/156 रकबा 1.3850 हे0 भूमि गै0मु0 सड़क के नाम दर्ज की गई, तथा शेष बची भूमि का बटा नम्बर 454/156 रकबा 0.5904 हे0, 455/156 रकबा 0.0746 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के नाम बिना आधार के दर्ज कर दी गई, जिसकी अपील इस न्यायालय में दिनांक 26.6.2025 को प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है किन्तु अपीलान्ट द्वारा बताये तथ्य अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी 10.6.2025 को केसीसी जमा कराने बैंक में जाने व बैंक द्वारा बताने पर होने से प्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद मानते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है ।

7. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं दस्तावेजात नकल जमाबंदी एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति से यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम परल्या में खाता संख्या 118 की खसरा नम्बर 156 रकबा 2.0500 हे0 भूमि अपीलांट की 1/7 हिस्सा अन्य सह खातेदारान के साथ शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड थी । उक्त शामलाती भूमि में से 1.3850 हे0 अवाप्त होने से गै0मु0 सड़क एन.एच.ए.आई. के नाम दर्ज की गई, किन्तु शेष बची भूमि अपीलांट एवं अन्य सह खातेदारान के खाते में यथावत रहनी चाहिए किन्तु ऐसा नहीं करके अन्य रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के नाम दर्ज की गई जो किस आधार पर दर्ज की गई, इसका कोई उल्लेख नामान्तरकरण पर दर्ज नहीं है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 514 दिनांक 4.6.2022 रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्से की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि रेस्पोडेन्टगण के नाम यह नामान्तरकरण किस आधार पर दर्ज किया गया कि जांच करते हुए अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उचित कार्यवाही करते हुए गुणावगुण के आधार पर सही नामान्तरकरण दर्ज कर नवीन निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा